

(6)

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे

जाने के लिए)

प्रतिवर्ष - २०१५/२०१६

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

एनीमोटरों की संस्तुति
के आधार पर रचीकृतार्थ
संस्तुति की जाती हैं।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षित समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

दिनांक - ११/०१/२०

स्थान -

Anupam Gupta
हस्ताक्षर
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

()

नाम और पद नाम

सरकारी मोहर